of coal alone to the thermal power stations will improve the power position. If not, what are the other steps which the Government proposes to take to remove the constrains other than coal?

SHRI VIKRAM MAHAJAN: One factor is coal. But at present the coal stocks are there in the power stations in Gujarat for a number of days. So, that alone is not the reason for the fall. The main problem is that of maintenance, which can be overcome only if the State Electricity Boards gear up their maintenance staff and also the managerial staff. If they increase their generating capacity by 10 per cent, the problem of Gujarat State can be overcome, with the existing installed capacity.

## Smuggling of Indian Films to Foreign Countries

*532 SHRI BHEEKHABHAI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government are aware that many Indian films are being smuggled from India to foreign countries; and

(b) if so, the action taken against the distributors of such films?

**सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री वसन्त साठे)** : (क) और (ख) सरकार को प्राप्त रिपोर्टों से यह संकेत मिलता है कि कुछ भारतीय फिल्मों की भारत से बाहर तस्करी करने का प्रयास किया गया था। पकड़े गए व्यक्तियों के साथ कानून के अनुसार बर्ताव किया गया।

पकड़ी गई फिल्मों और उनपर की गई कार्यवाई का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

**विवरण**

1975 से 1978 तक पकड़ी गई फिल्मों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

| वर्ष और फिल्म का नाम | रीलों की संख्या | पकड़े गए व्यक्तियों के नाम और संख्या | मामले की स्थिति |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1975 | | | |
| अराधना . . . | 18 | के० माधवन नय्यर | ये फिल्में एक जलपोत से पकड़ी गई थी। मामले पर न्याय-निर्णय किया गया। जलपोत से जब्त की गई फिल्मों को 30,000 रुपए का जुर्माना देने पर छोड़ा गया। के० माधवन नय्यर पर 5,000 रुपए और अन्य पांचों पर पांच-पांच सौ रु० का जुर्माना किया गया। माधवन नय्यर के विरुद्ध अभियोग चलाया गया। अभियुक्त को 15-11-77 को छोड़ा गया। |
| अनुराग . . . | 3 | | |
| दो यार . . . | 11 | | |
| शिकार . . . | 9 | | |
| दो [illegible] . . . | 15 | | |
| आयिराथिल ब्रुवन . . | 1 | | |
| आजाद . . | 15 | | |
| ब्रहमा, विष्णु, महेश . | 14 | | |
| प्यासा . . . | 6 | | |
| कर्मयोगी . . . | 11 | | |
| रिवाल्वर रीता . . | 11 | | |
| मिनाथूरूवी कोल्वकेसु . | 6 | | |
| कुल : | 120 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| (सभी फिल्में एक ही बार में पकड़ी गई थी और इन सब पर एक ही मामला बना) | | | |
| 1976 | | | |
| *पारस . . . | 17 | लावारसी | ये फिल्में एस० एस० द्वारका स्थिति नामक जहाज से लावारसी में पकड़ी गई थीं। फिल्मों को जब्त कर लिया गया है। कोई अभियोग नहीं है। |
| *रोटी . . . | 16 | | |
| *यारों की बारात . . | 16 | | |
| कुल : | 49 | | |
| 1977 | | | |
| गीता मेरा नाम . . | 17 | 1. श्रीकान्त वी० हर्ष, (यातायात सहायक) इंडियन एयरलाइंस)<br>2. पदम कुमार वी० (यातायात सहायक, इंडियन एयरलाइंस)<br>3. रामपाल सिंह, लीडर (इंडियन एयर लाइंस)<br>4. देव के० भाटिया<br>5. मोती एम० गेही | मामले पर 7-10-78 को विभागीय न्याय-निर्णय दिया गया है और रीलों को पूर्णरूप से जब्त कर लिया गया है। देव के भाटिया और श्रीकान्त वी० हर्ष पर 2,000 रू० का जुर्माना और तिवारी तथा रामपाल सिंह पर एक-एक हजार रुपए का जुर्माना किया गया। इन व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग चल रहा है। |
| पप्पी . . . | 18 | 1. चन्दु के० चन्दी रामनी<br>2. चन्द्रुवल्लभदास भाटिया<br>3. इसामाईल मोहम्मद मूसज-<br>4. मोती मेघराज गेही<br>5. डी० आर० देशपांडे [सहायक स्टेशन सुप्रिटेंडेंट (एयर इंडिया)]<br>6. एस० के० हिंगोरानी यातायात सहायक (एयर इंडिया) | मामले पर 19-10-78 को न्याय-निर्णय किया गया और रीलों को पूर्णरूप से जब्त कर लिया गया। चन्द्रु और चन्दी रामनी पर बीस-बीस हजार रुपए का जुर्माना और इसमाईल पर 25,000 रुपए तथा हिंगोरानी और देशपांडे तथा मोती एम० गेही पर पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना किया गया। सभी व्यक्तियों पर अभियोग दायर किया गया। चन्द्रु वी० भाटिया और मोती एम० गेही को न्यायालय द्वारा मुक्त कर दिया गया था और शेष व्यक्तियों के बारे में अभियोग पैंडिंग है। |

*इस मामले में दो व्यक्ति देव भाटिया और डी० एन० ऐज जो तस्करी में फंसे हैं, अभी तक फरार हैं उनको पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसामाईल मोहम्मद मूसज अरब नागरिक है। उनकी जमानत जब्त हो गई है। उसके दुबई भाग जाने की खबर है।

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| गोपी | 29 | ये दोनों फिल्में बाहर जाने वाले यात्रियों के सामान की जाँच करने के दौरान बम्बई गोदी में 12-10-77 को एक ही बार लावारसी स्थिति में पकड़ी गई थी । | अभी न्याय-निर्णय अधीन है । |
| दो रास्ते | 17 | | |
| 1978 | | | |
| 1. देवदास | 5 | श्री रोबर्ट जोनस्टोन | 4-1-78 को पकड़ी गई इन फिल्मों को जब्त कर लिया गया था । इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और उस पर अभियोग चलाया गया, किन्तु न्यायालय द्वारा उसको निर्दोश ठहराया गया । |
| तलाक | 4 | | |
| पति-पत्नी | 4 | | |
| कारीगर | 4 | | |
| आसरा | 4 | | |
| अंडर कैपरिकानड (अंग्रेजी) | 3 | | |
| दि मैन हु नो | 1 | | |
| टू मच (अंग्रेजी) | . | | |
| कुल : | 25 | | |
| 2. बम्बई में 20-4-78 को अन्य सामान के साथ 64 रीलें पुरानी जंग लगी हुई और टूटी-फूटी अवस्था में पकड़ी गई । | | (1) मधुकर नारायण हल्पे (2) राजकुमार लक्ष्मीनारायण कतपालिया | दोनों को गिरफ्तार किया गया था । इनको कारण बताओ नोटिस दिया गया और मामले पर न्याय-निर्णय किया गया । जगदीश पांडे और गुलाम हुसैन गुलाम मोहम्मद पर पांच-पांच हजार रु0 तथा हल्पे और कतपालिया पर दो-दो हजार रुपए का जुर्माना किया गया । |

**श्री भीखा भाई** अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, वह अपर्याप्त और असंतोषप्रद है । उन्होंने जवाब में कहा है : सरकार को प्राप्त रिपोर्टों से यह संकेत मिलता है . ."। संकेत क्या मिलता है ? "कि कुछ भारतीय फिल्मों को भारत से बाहर तस्करी करने का प्रयास किया गया था ।" मैंने यह सवाल नहीं पूछा है । मैंने पूछा है कि विदेशों में कितनी फ़िल्में गई हैं । इसके बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं है । जवाब में कहा गया है : "प्रयास किया गया था ।" यह तो पास्ट टेंस है । पिछले दो सालों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है । आगे मंत्री महोदय ने कहा है : "पकड़ी गई फ़िल्मों और उनपर की गई कार्रवाई का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।" उस विवरण से पता चलता है कि सजा के रूप में जुर्माना किया गया है और फ़िल्म को जब्त कर लिया गया है। इससे मालूम होता है कि कहीं न कहीं कोई कमजोरी है । मैं यह जानना चाहता हूं कि जो राज्याधिकारी ऐसे मामलों में फंसे हुए हैं, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है । क्या सरकार ऐसे केसिज में ज्यादा कड़ी सजा देने पर विचार करेगी ।

**श्री बसन्त साठे** : स्मगलिंग करते समय जितनी फ़िल्में पकड़ी गई हैं, कानून के मुताबिक उनपर जुर्माना इतना कम हुआ है, हमारे मित्र को इस पर संतोष नहीं है । कानून में यह प्रावधान है कि स्मगल्ड आइटम की जितनी कीमत होगी, उसका कुछ अनुपात —50 प्रतिशत या कुछ और—ही दंड हो सकता है । उसमें हम क्या कर सकते हैं ? अगर आप चाहते हैं कि वह दंड ज्यादा हो, तो कानून को बदल दीजिए, ज्यादा दंड कर दीजिए, जेल करवा दीजिए, जो चाहे करवा दीजिए, । आज जो कानून है, उसके मुताबिक यह कार्यवाही की गई है । अगर पालियामेंट की यह मंशा है कि इसमें कुछ ज्यादा कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए, तो उस मंशा पर विचार किया जा सकता है।

**श्री मूलचन्द डागा** : सरकार की क्या मंशा है ? सरकार ने क्या सोचा है ?

**डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी** : कानून में क्या क्या लिखा है ?

**श्री वसन्त साठे** : कानून में केवल दंड का प्राविजन है, और उसके मुताबिक जुर्माना हुआ है । लेकिन यह सवाल कस्टम्ज द्वारा रोकने और इस तरह से कार्यवाही करनें से हल नही होगा । आज तो दुनिया में वीडियो कैसेट का सिस्टम हो गया है । हमारी फ़िल्में कानूनी ढंग से जिस देश में जाती है---इंगलैंड में या यूरोप में---, वहां उनको आटोमेटिकली रेगुलर फ़िल्म्ज़ में ट्रांसफर किया जा सकता है । नैगेटिव बनानें की जरूरत ही नही है। साइंस की इतनी तरक्की हो गई है । इस लिए इसका कामर्शल सालूशन निकालना होगा । पुलिस सालूशन से यह मामला हल नहीं होगा ।

**श्री भीखा भाई** : इस स्टेटमेंट में 1979 और 1980 का व्यौरा नहीं बताया गया है कि उन दो सालों में कितनी फ़िल्में स्मगल हुई है। मैने पूछा है कि एक्चुअली कितनी फ़िल्में स्मगल हुई । मंत्री महोदय ने बताया है कि प्रयास में इतनी पकड़ी गई हैं । प्रयास वाली बात अलग है । यह तो इन दी प्रोसेस आफ स्मिगलिंग हैं । जो एक्चुअली स्मगल हो गई और जो भागकर दुबई चले गए उनके बारे में मैं जानना चाहता हूं ।

**श्री वसन्त साठे** : अध्यक्ष महोदय, चोरी जब होती है तो पकड़ी जाने के बाद कितना पकडा गया यह समझ में आता है । जो पकड़ा ही नही गया, जो बाहर स्मगल हो गया उसके बारे में हमें मालूमात ही नहीं है तो वह हम कैसे बताएंगे ? जो पकड़ा गया उसी से बता सकते हैं।. . . (**व्यवधान**) उनको है पता तो हम को बता दें ।

दूसरा जो इनका सवाल था कि पिछले दो सालों में कितनी स्मग्लिंग हुई, तो पिछले दो सालों में कोई स्मग्लिंग पकड़ी नही गई है । सीज़र्स नही हुए है । इसका कारण मैंने बताया कि आजकल स्मग्लिंग करने की जरूरत नही महसूस होती है बाहर, उसका प्रिन्ट वहीं बनाया जा सकता है।

**श्री मूलचन्द डागा** : इसमे एक सवाल है कि स्मग्लिंग हुई या नही हुई ? चोरी से यहां से बाहर गई या नही ? पकड़ी गई या नही पकड़ी गई यह तो आपकी कमजोरी है । लेकिन चोरी हुई या नही ?

**श्री वसन्त साठे** : चोरी हुई कि नही, यह तो जब तक पकड़ा नहीं जाता तब तक मालूम नही हो सकता । इसका तो अन्दाजा कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं ?

**श्री भागवत झा आजाद** ; चलचित्र की तस्करी होती है और वह पकड़ी नहीं जाती है यह इस बात का भी प्रमाण है कि इन फ़िल्मों की आवश्यकता विदेश में है । अगर विदेश में इनकी आवश्ककता है तो क्यो नही सरकार जहां पकड़ ही नही पाती है, वहां इन कानूनों में रियायत करती ताकि ये फिल्में अधिक रूप में बाहर जायं और उससे सरकार को पैसा भी मिले ?

**श्री वसन्त साठे** : बिलकुल सही है भागवत जी ने जो कहा । असली साल्यूशन यही है कि इस में रियायत कर के कर्माशियल बेसिस पर इस का लाभ उठाया जाए, और इस से पैसा कमाया जाय बजाय इस के कि पुलिस एक्शन से रोकने की कोशिश की जाय । . . . (व्यवधान) गधा भी गया और ब्रह्मचारी भी गया तो इस से क्या फायदा ।

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: In the statement that the Minister has laid on the Table, he has not listed those countries to which smuggling is actually taking place. Therefore, as a point of information we would like to know that.

Secondly, since he has said that commercial solution is the only way to stop or eradicate this evil, he must indicate something to Parliament as to what is this 'commercial solution'. If he just says 'commercial solution', it can mean anything. Let him spell out some broad framework of the commercial solution.

SHRI VASANT SATHE: Actually, the question did not ask which are those countries. Secondly, once a thing is smuggled out it will not be possible to say that it is restricted to a particular country because it can go all over, wherever there is demand.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Not to 150 countries?

SHRI VASANT SATHE: We cannot pinpoint or name the countries. Some of them are well known.

Now, he has asked about 'commecial solution'. We have appointed a Task Force to go into this whole question and we will find out..

**DR. SUBRAMANIAM SWAMY:** Who are the members?

**SHRI VASANT SATHE:** It is an inter-Ministerial group. I do not want to take the benefit of experts like Dr. Swamy because there will be a tussle between them as to whether there is greater smuggling in Calcutta or in Bombay or elsewhere! We are at present making an exercise in the Inter-Ministerial Task Force. We will try to find out a solution, whatever we can.

DR. VASANT KUMAR PANDIT: If you read the statement very carefully, you will find that in three cases people have been discharged and the quantum of fine is very less. Therefore, smugglers are finding it very easy and profitable to smuggle out these films. May I know why those three persons were discharged, whether the evidence was tampered with or there is some lacuna in the existing law?

SHRI VASANT SATHE: Obviously, as I have said myself, police solution is really no solution. They were acquitted because adequate proof obviously could not be produced and they got the benefit of it in the court. (Interruptions)

AN HON. MEMBER: No preventive measures?

SHRI VASANT SATHE: It is not a question of taking •preventive measures. These people who come from Bombay are really experts. They know. (Interruptions) Actually, in matters like smuggling, it is not an one-man act. It is a group which works. In smuggling, as you must be seeing in this, it is done in parts. One person has two or three reels; the other persons are carrying the other reels. Threfore, when you get a part of it or something like that, obviously it is very difficult. I have not studied these cases; it is not possible to do. The point is this. It is a lacuna either in the law or in the evidence. They get released in the court. What can we do if they are acquitted there?

**Accidents in Mines of Eastern Coalfields**

*533. SHRI R. L. P. VERMA: Will the Minister of ENERGY AND COAL be pleased to state:

(a) whether fatal accidents in the mines of Eastern Coalfields Limited were highest in India during 1979 rules. owing to officers ignoring Safety;

(b) whether 43 persons were killed in 35 fatal accidents during that year; and

(c) if so, what action he proposes to take against the concerned officers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) & (b). While 44 persons were killed in 36 fatal accidents in Eastern Coalfields Ltd. during 1979 including 3 non-mining accidents, officers were held responsible by DGMS after inquiry only in 7 cases involving 11 fatalities.

(c): After statutory inquiries, DGMS has launched prosecution in 6 cases and in the remaining one case he has recommended departmental action against the officer concerned.

**श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** · अध्यक्ष महोदय, 1979 में कोल माइन्स में सब से अधिक दुर्घटनाये हुई है और उस में भी खास कर ईस्टर्न कोल फील्ड्स में जितनी भी कम्पनियां हैं कोल इंडिया की, उनमें सब से ज्यादा हुई हैं। इस का मुख्य कारण यह है कि वहां के मैनेजर्स और जितने भी सम्बन्धित अधिकारी है वे सब मिल कर, जो लोग प्राइवेट कोल माइन्स चलाते हैं उन कोल माइन्स में पोजीशन को ठीक बनाने के लिये जो सुरक्षा के नियम हैं, उन को ताक पर रख कर बराबर ही एक्सीडेंट्स होने देते हैं। यही कारण है कि 1978 में 154 आदमी 130 दुर्घटनाओ में मरे लेकिन उस में केवल ई सी एल में 35 आदमी मरे और 25 दुर्घटनायें हुईं। इस बार ई सी एल में दुर्घटनायें बढ़ कर 35 हो गईं .....

**अध्यक्ष महोदय** : अब कम्पेयर करने के बाद आप सवाल कीजिए।

**श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : अध्यक्ष महोदय, इन बातों पर पर्दा पड़ जाता है इसलिए मै ...